संशोधित नियमावली

1.संस्था का नाम – समृद्धि शिक्षण संस्थान ।

2.संस्था का पता – 33 डब्लू–2 जूही कलॉ, दामोदर नगर, कानपुर ।

3.संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

4.संस्था की सदस्यता एवं सदस्यो के वर्ग–

प्रत्येक वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो, उम्र से बालिग हो, संस्था के नियमों, विनियमों में आस्था व विश्वास रखते हुए उनका पालन करने के लिए वचनबद्ध रहे, इस संस्था का सदस्य बन सकता है सभी प्रकार की सदस्यता संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा की जायेगी । संस्था में निम्न प्रकार के सदस्य रहेगें ।

1.संस्थापक सदस्य–जिन व्यक्तियों के नाम प्रथम पंजीयन के समय स्मृति पत्र तालिका में अंकित किये गये थे, सभी 101 रू0 से लेकर 501 रू0 के मध्य की कोई राशि प्रदान कर संस्थापक सदस्य केवल पंजीयन के 6 माह के भीतर ही बनाये जायेगें सभी संस्थापक सदस्य इस संस्था के आजीवन सदस्य रहेगें ।

2.आजीवन सदस्य–संस्थापक सदस्य ही आजीवन सदस्य रहेगें, आजीवन सदस्यो द्वारा ही पदो को ग्रहण किया जायेगा ।

3.सामान्य सदस्य–जो व्यक्ति इस संस्था को 10,000/–रुपये देगें वे इसके सामान्य सदस्य होगें, सामान्य सदस्यो को समिति की सभा, बैठकों में मत देने का अधिकार नही होगा और उनकी सदस्यता एक वर्ष के लिए होगी ।

4.विशिष्ट सदस्य–जो व्यक्ति इस संस्था को विशेष सहयोग देगे तथा विशेष योग्यता रखने वाले अथवा समाज के सम्मानित व्यक्ति होगें इस संस्था के विशिष्ट सदस्य के रूप में शामिल किये जायेगें ऐसे सदस्यों की सदस्यता निःशुल्क होगी । विशिष्ट सदस्यो को समिति की सभा, आदि में मत देने का अधिकार नहीं होगा और सदस्यता एक वर्ष के लिए होगी ।

2 पर

VijayLaxmi
(विजय लक्ष्मी भदौरिया)
अध्यक्ष

ममता देवी जादौन
(ममता देवी जादौन)
उपाध्यक्ष

Manoj Bhadauria
(मनोज कुमार भदौरिया)
सचिव

Devraj Pal
(देवराज पाल जादौन)
कोषाध्यक्ष

कल्पना अवस्थी
(कल्पना अवस्थी)
सदस्य

Vinay Singh
(विनय सिंह)
सदस्य

Abhileshsingh
(अभिलेष सिंह भदौरिया)
सदस्य

सत्य-प्रतिलिपि

VijayLaxmi
President
Samradhi Sikshan Sansthan
33-W2 Juhi Kala Damodar Nagar
Kanpur Nagar

Scanned with CamScanner

5.सदस्यो की नियुक्ति की कार्यवाही–

1.समिति के आजीवन सदस्यो, सामान्य सदस्यो, विशिष्ट सदस्यो की सदस्यता के लिए संस्था के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदन अनिवार्य होगा ।

2.अनुमोदन प्राप्ति हेतु उपरोक्त सदस्यो द्वारा देय राशि ड्राफ्ट द्वारा सोसाइटी कार्यालय में जमा करनी होगीा ड्राफ्ट समिति के नाम देय होगा ।

3.आजीवन सदस्य बनने हेतु प्रार्थी को उस बैंक में खाता खोलना होगा जहाँ समिति का स्थाई खाता हो और उसके खाते को अध्यक्ष द्वारा परिचय कराना अनिवार्य होगा ।

4.उपरोक्त सभी कार्यो के उपरान्त ही आजीवन सदस्य बन सकेगें ।

5.सदस्यता की समाप्ति–

1.मृत्यु होने पर ।

2.पागल, कोढ़ी या दिवालिया होने पर ।

3.न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराध में दण्डित होने पर ।

4.नियमित सदस्यता शुल्क न देने पर ।

5.संस्था विरोधी कार्य करने पर अथवा ऐसा कार्य करने पर जिसके कारण संस्था की मर्यादा भंग हो या उस पर आँच आयें ।

6.त्यागपत्र देने व उसके स्वीकार हो जाने पर ।

7.किसी सदस्य के विरूद्व अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार होने पर ।

उपरोक़्त एक या एक से अधिक कारण लागू होने पर किसी भी सदस्य की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है अथवा कार्यकारिणी से हटाया जा सकता है ।

......3 पर

vijaylaxmi — (विजय लक्ष्मी भदौरिया) अध्यक्ष

ममता देवी जादौन — (ममता देवी जादौन) उपाध्यक्ष

Manoj Bhadauria — (मनोज कुमार भदौरिया) सचिव

Devraj Pal — (देवराज पाल सदस्य) कोषाध्यक्ष

कल्पना अवस्थी — (कल्पना अवस्थी) सदस्य

Vinay Singh — (विनय सिंह) सदस्य

Abhilesh Singh — (अभिलेष सिंह भदौरिया) सदस्य

प्रतिलिपि

सहायक

vijaylaxmi
President
Samradhi Sikshan Sansthan
33-W2 Juhi Kala Damodar Nagar
Kanpur Nagar

6.संस्था के अंग–

अ.साधारण सभा ।　　　　ब.प्रबन्धकारिणी समिति ।

7.साधारण सभा–

अ.गठन–सभी वर्गो के सभी सदस्यों को मिलाकर संस्था की साधारण सभा होगी ।

ब.बैठकें– सामान्य व विशेष

साधारण सभा की साल में एक बैठक अनिवार्य रूप बुलायी जायेंगी । विशेष साधारण सभा का आयोजन कभी भी अध्यक्ष के अनुमोदन पर अथवा 1/3 सदस्यो की लिखित माँग पर सचिव द्वारा की जा सकेगी ।

स.सूचना अवधि–

साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचनाएं 15 दिन पूर्व व विशेष की 3 दिन पूर्व प्रसारित की जाना अनिवार्य है ।

द.गणपूर्ति–

कुल सदस्यो की 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी, कोरम के अभाव में स्थगित बैठकों के लिए कोरम का प्रतिबन्ध नहीं होगा, परन्तु विषय व एजेण्डा पूर्ववत ही रहेगें ।

य.विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथियाँ –

संस्था प्रतिवर्ष सत्र की समाप्ति पर अपना विशेष वार्षिक अधिवेशन का आयोजन करेगी जिसकी तिथि बहुमत से तय की जायेगी ।

र.साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य

1.प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।
2.संस्था के वार्षिक बजट व वार्षिक रिर्पोट का अनुमोदन करना ।
3.संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्वन स्वीकार करेगा ।
4.प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों पर पुर्नविचार संशोधन, परिवर्तन आदि के निर्देश देना, प्रबन्धसमिति के निर्णयों के विरूद्व अपील सुनना ।
5.साधारण सभा में संस्थापक एवं आजीवन सदस्यो को मत देने का अधिकार होगा सामान्य निर्णय 2/3 बहुमत से होगें ।
6.साधारण सभा सर्वोच्च होगी ।

...4 पर

Vijay Laxmi　　　　ममता देवी जादौन　　　　Manoj Bhadauria

(विजय लक्ष्मी भदौरिया)　　(ममता देवी जादौन)　　(मनोज कुमार भदौरिया)
अध्यक्ष　　　　उपाध्यक्ष　　　　सचिव

Devraj Pal　　　　अन्नपूर्णा अवस्थी　　　　Vinay Singh　　　　Abhilesh Singh

(देवराज पाल जादौन)　　(अन्नपूर्णा अवस्थी)　　(विनय सिंह)　　(अभिलेष सिंह भदौरिया)
कोषाध्यक्ष　　　　सदस्य　　　　सदस्य　　　　सदस्य

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स

Vijay Laxmi
President
Samradhi Sikshan Sansthan
33-W2 Juhi Kala Damodar Nagar
Kanpur Nagar

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश कानपुर

Scanned with CamScanner

9.प्रबन्धकारिणी समिति –

अ.गठन–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा के बहुमत से चुनाव द्वारा किया जायेगा । प्रबन्धकारिणी समिति में कम से कम 7 व अधिक से अधिक 15 सदस्य होगें जिनमें पदाधिकारी भी शामिल रहेगें । प्रबन्धन का संगठन निम्नवत् होगा ।

1.अध्यक्ष एक, 2.उपाध्यक्ष–एक, 3.सचिव–एक, 4.कोषाध्यक्ष–एक, शेष कार्यकारिणी सदस्य कम से कम 4 व अधिक से अधिक 11 होगें । पंजीयन के समय प्रबन्धसमिति में 4 पदाधिकारी एवं 4 सदस्यो सहित कुल संख्या 8 है जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकेगा ।

ब.सामान्य व विशेष–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठके प्रति तिमाही व विशेष आवश्यकतानुार कभी भी अध्यक्ष की अनुमति या 1/3 सदस्यो की लिखित मॉग पर बुलायीं जा सकेगी । बैठकें व उनकी सूचनाओं को प्रसारित करने का अधिकार सचिव को होगा ।

स.सूचना अवधि–साधारणतया प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की सूचनायें 7 दिन पूर्व प्रसारित की जायेगी, किन्तु विशेष बैठकों के लिए 24 घण्टे पूर्व सूचना देना पर्याप्त होगा ।

द.गणपूर्ति–कुल सदस्यो की 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी । कोरम के अभाव में स्थगित बैठकों के पुनः आयोजन पर कोरम का प्रतिबन्ध नही रहेगा ।

य.रिक्त स्थानों की पूर्ति–प्रबन्धकारिणी समिति में हुए आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा के 2/3 बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी ।

र.प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–
1.समिति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजनाओं व कार्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान करना ।
2.आवश्यक धन/कोष का संग्रह करना ।
3.वार्षिक बजट व वार्षिक रिर्पोट को पास करना ।
4.नियम उपनियम बनाना ।
5.किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए उपसमितियों का गठन करना उनके पदाधिकारियों का मनोनयन करना, उनके अधिकांश कर्तव्यों का निर्धारण करना ।
6.संस्था की निधियों, सम्पत्तियों की सुरक्षा करना ।
7.उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति विशेष, बैंक, वित्तीय संस्थाओं आदि से ऋण प्राप्त करना तथा आवश्यकतानुसार संस्था की सम्पति को उद्देश्यों की पूर्ति के रहन, गिरवी रखना भी ।

...5 पर

Vijay Laxmi
(विजय लक्ष्मी भदौरिया)
अध्यक्ष

ममता देवी जादौन
(ममता देवी जादौन)
उपाध्यक्ष

Manoj Bhadauria
(मनोज कुमार भदौरिया)
सचिव

(देवराज पाल जादौन)
कोषाध्यक्ष

(कल्पना अवस्थी)
सदस्य

Vinay Singh
(विनय सिंह)
सदस्य

Abhilesh Singh
(अभिलेष सिंह भदौरिया)
सदस्य

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

Vijay Laxmi
President
Samradhi Sikshan Sansthan
33-W2 Juhi Kala Damodar Nagar
Kanpur Nagar

कार्यालय उप निबन्धक सोसाइटीज उत्तर प्रदेश कानपुर
सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

ल.कार्यकारिणी –
प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा एवम् अध्यक्ष व सचिव द्वारा दो-दो सदस्य मनोनीत किये जायेगें ।

10.प्रबन्धकारिणी समिति पदाधिकारियों अधिकार एवं कर्तव्य–
अ.अध्यक्ष–
1.इस संस्था का संवैधानिक प्रमुख होगा ।

2.समस्त प्रकार की बैठकों, दिनांको का अनुमोदन, स्थगन, निरस्तीकरण ।

3.आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करना ।

4.किसी विषय पर बराबर मत आने पर अपने विशेष मत प्रयोग करना ।

5.संस्था की उन्नति एवं विकास के लिये कार्य करना ।

6.संस्था की सम्पत्तियों, निधियों, धनराशियों को सुरक्षा व संरक्षण करना ।

7.संस्था की चल अचल सम्पत्ति विषयक अनुबन्धों, दस्तावेजों व शर्तनामा बैनामें आदि में संस्था के प्रधान की हैसियत से हस्ताक्षर करना ।

8.संस्था की चल अचल सम्पत्ति को बेचने की स्थिति में निर्णय लेना व हस्ताक्षर ।

ब.उपाध्यक्ष–
1.अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त दायित्वों को करना ।

2.सामान्य परिस्थितियों में अध्यक्ष का सहयोग करना व उसके निर्देशों का पालन करना ।

.......6 पर

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश कानपुर

Vijay Laxmi
(विजय लक्ष्मी भदौरिया)
अध्यक्ष

ममता देवी जादौन
(ममता देवी जादौन)
उपाध्यक्ष

Manoj Bhadauria
(मनोज कुमार भदौरिया)
सचिव

Devraj Pal
(देवराज पाल जादौन)
कोषाध्यक्ष

कल्पना अवस्थी
(कल्पना अवस्थी)
सदस्य

Vinay Singh
(विनय सिंह)
सदस्य

Abhilesh singh
(अभिलेष सिंह भदौरिया)
सदस्य

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल, कानपुर

Vijay Laxmi
President
Samradhi Sikshan Sansthan
33-W2 Juhi Kala Damodar Nagar
Kanpur Nagar

Scanned with CamScanner

स.सचिव–

1.इस संस्था व इसके द्वारा संचालित संस्थाओं, आयोजित कार्यक्रमों, मुख्य संचालन प्रशासनिक पदाधिकारी होगा ।

2.समस्त पारित प्रस्तावों को क्रियान्वित करने कराने के लिए उत्तरदायी होगा ।

3.समिति व संचालित संस्थाओं के मद में प्राप्त होने वाले दान, अनुदान, बैंक, ऋण व अन्य प्रकार के सहयोग व सहायतायें प्राप्त करना तथा उनकी प्राप्तियों पर अध्यक्ष के साथ अपने हस्ताक्षर करना ।

4.संस्था के बाहर जाने वाले समस्त पत्रों प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर करना ।

5.संस्था की सभी प्रकार की बैठकों को बुलाना, उनके एजेण्डा, सूचनाओं को प्रसारित कराना ।

6.वैतनिक कर्मचारियों का वेतन निर्धारण, वेतन वितरण का दायित्व का अध्यक्ष की सहमति से निर्वाह करना ।

7.संस्था के बिलों बाउचरो पर हस्ताक्षर करना व उसका भुगतान करना ।

8.संस्था के समस्त प्रकार के रिकार्ड व रजिस्टरों को तैयार करना व कराना व उन्हें व्यवस्थित करना तथा उन्हें अपने संरक्षण में रखना ।

9.उपाधिकारियों व संस्थाओं के कार्यो की समीक्षा करना ।

10.संस्था द्वारा अथवा उसके समस्त अदालती कार्यवाहियों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।

11.संस्था की उन्नति एवं विकास के लिए कार्य करना ।

12.ऐसी स्थिति में जब प्रबन्धसमिति व साधारण सभा की बैठके बुलाई जाना सम्भव न हो, संस्था के हित में आपातकालीन निर्णय लेना, जिन पर साधारण सभा व प्रबन्धसमिति की स्वीकृति अध्यक्ष की उपस्थिति में 6 माह के भीतर लेना आवश्यक होगा ।

13.आजीवन/सामान्य व विशिष्ट सदस्यो का चुनाव कराना एवं उनका अनुमोदन करना ।

.....7 पर

Vijay Laxmi — ममता देवी जादौन — Manoj Bhadauria

(विजय लक्ष्मी भदौरिया) अध्यक्ष — (ममता देवी जादौन) उपाध्यक्ष — (मनोज कुमार भदौरिया) सचिव

Devraj Pal — कल्पना अवस्थी — Vinay Singh — Abhilesh Singh

(देवराज पाल जादौन) कोषाध्यक्ष — (कल्पना अवस्थी) सदस्य — (विनय सिंह) सदस्य — (अभिलेष सिंह भदौरिया) सदस्य

सत्य – प्रतिलिपि

कार्यालय उप निबन्धक समितियां उत्तर प्रदेश कानपुर
सत्यमेव जयते

President
Samradhi Sikshan Sansthan
33-W2 Juhi Kala Damodar Nagar
Kanpur Nagar

वरिष्ठ सहायक

द.कोषाध्यक्ष–

1.आय व्यय का मदवार व तिथिवार अंकन करना ।

2.संस्था के कोष की सुरक्षा करना ।

3.संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक रिर्पोट तैयार करना ।

4.संस्था का सलाना आडिट करना ।

ऋण प्राप्त करना व उसकी अदायगी का सामूहिक उत्तरदायित्व–
संस्था प्राप्त ऋण के विपक्ष में व ऋणदाता के पक्ष में अपनी अचल सम्पत्ति बतौर जमानत बन्धक करेगी यदि संस्था के पास निजी अचल सम्पत्ति नहीं है तो संस्था के सदस्य/सदस्यो के द्वारा अपनी व्यक्तिगत् अचल सम्पथ्तत बतौर जमानत ब्रन्धक की जा सकेगी । इस ऋण अदायगी का उत्तरदायित्व समस्त सदस्यों पर समान रूप से सामूहिक व व्यक्तिगत् होगा । किसी सदस्य के हट जाने या हटा दिये जाने पर भी वह अपने समय में लिये गये ऋण की अदायगी के लिए तब तक उत्तरदायी बने रहेगें जब तक ऋण दाता के सक्षम अधिकारियों, खादी बोर्ड/आयोग/बैंक/वित्तीय संस्थान आदि के द्वारा अदेयता प्रमाण पत्र जारी नहीं कर दिया जाता है ।

11.संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया–
साधारण सभा के 2/3 बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन स्वीकार होगें ।

12.संस्था का कोष–
संस्था का समस्त कोष किसी मान्य प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा । जिसका संचालन संस्था के अध्यक्ष के साथ सचिव/कोषाध्यक्ष दोनो में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षर में किया जायेगा ।

उप निबन्धक कार्यालय ... उत्तर प्रदेश कानपुर
सत्यमेव जयते

13.संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण(आडिट)–
संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष साधारण सभा द्वारा नियुक्त आडीटर के द्वारा कराया जायेगा ।

... 8 पर

vijay Laxmi	ममता देवी जादौन	Manoj Bhadauria
(विजय लक्ष्मी भदौरिया)	(ममता देवी जादौन)	(मनोज कुमार भदौरिया)
अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सचिव

Devraj Pal	कल्पना अवस्थी	Vinay Singh	Abhilesh Singh
(देवराज पाल जादौन)	(कल्पना अवस्थी)	(विनय सिंह)	(अभिलेष सिंह भदौरिया)
कोषाध्यक्ष	सदस्य	सदस्य	सदस्य

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

Vijay Laxmi
President
Samradhi Sikshan Sansthan
33-W2 Juhi Kala Damodar Nagar
Kanpur Nagar

Scanned with CamScanner

14.संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्व समस्त अदालती कार्यवाहियों के संचालन का उत्तरदायित्व–
यदि संस्था किसी पर मुकद्मा चलाती है या संस्था पर कोई मुकद्मा चलाया जाता है तो समस्त अदालती कार्यवाही संस्था के सचिव प्रबन्ध के पद नाम से या उसके पद नाम के विरूद्व की जायेगी ।

15.संस्था के अभिलेख–

1.सदस्यता का रजिस्टर

2.कार्यवाही रजिस्टर

3.स्टाक रजिस्टर

4.एजेण्डा रजिस्टर

5.कैश बुक आदि ।

16.संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी रजि0 की धारा 13 व 14 के अर्न्तगत की जायेगी ।

सत्यप्रतिलिपि

दिनांक–

हस्ताक्षर–

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक सामाजिक सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश कानपुर

Vijay Laxmi
(विजय लक्ष्मी भदौरिया)
अध्यक्ष

ममता देवी जादौन
(ममता देवी जादौन)
उपाध्यक्ष

Manoj Bhadauria
(मनोज कुमार भदौरिया)
सचिव

Devraj Pal
(देवराज पाल जादौन)
कोषाध्यक्ष

कल्पना अवस्थी
(कल्पना अवस्थी)
सदस्य

Vinay Singh
(विनय सिंह)
सदस्य

Abhilesh Singh
(अभिलेष सिंह भदौरिया)
सदस्य

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल, कानपुर

Vijaylaxmi
President
Samradhi Sikshan Sansthan
33-W2 Juhi Kala Damodar Nagar
Kanpur Nagar

Scanned with CamScanner